

स्वायत्त उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़।

गां. सं. 35 / 2012
 माता विराजी महाविद्यालय, सलेमपुर मुल्तानीपुर
 प्रबंधक, श्री कैलास यादव
 बंगला
 उ०प्र० सफाई

अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०
 ज०वि० एवं भू०न्या० अधि०
 सीजा-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर
 परगना-चिरियाकोट तहसील-
 सदर, जनपद-आजमगढ़।

आदेश

प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह शिक्षा सेवा समिति, ग्राम-रसूलपुर, तहसील-मुहम्मदाबाद, जिला-मऊ, प्रबंधक, माता विराजी महाविद्यालय, सलेमपुर मुल्तानीपुर ने ग्राम-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर, परगना-चिरियाकोट, तहसील-सदर में स्थित खाता सं० 00054 के गाटा सं० 262/101280 के सार्वजनिक भूमिधर है, को अकुविक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना-पत्र की जांच हेतु तहसीलदार सदर, जनपद-आजमगढ़ को भेजा गया। तहसीलदार, सदर द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल एवं राज्य स्तरीय निरीक्षक से स्थलीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण प्रतिक्षण कराकर उनकी आख्या दिनांक 15.01.2013 पर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 15.01.2013 प्रस्तुत की है। आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत खाता सं० 00054 के गाटा सं० 262/101280, लगान 19.95 पर प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह शिक्षा सेवा समिति, ग्राम-रसूलपुर, तहसील-मुहम्मदाबाद, जिला-मऊ, प्रबंधक, माता विराजी महाविद्यालय, सलेमपुर मुल्तानीपुर ने ग्राम-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर, परगना-चिरियाकोट, तहसील-सदर में स्थित खाता सं० 00054 के गाटा सं० 262/101280 के सार्वजनिक भूमिधर है, जो राज्य स्तरीय खतीनी में दर्ज है। स्थल पर काठिन्य न दाखिल है। प्रश्नगत गाटा सं० में कृषि, उद्यमीकरण, प्रशुपालन, मानव संवर्द्धन एवं कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत गाटा संख्या पट्टे की नहीं है, सरकारी भूमि नहीं है। सार्वजनिक प्रयोग में नहीं है जैसे-तालाब, पोखरा, कब्रिस्तान, बाजारगाह नहीं है न ही भूमि लज्जुल एवं राजकीय स्थल की है। प्रश्नगत गाटा संख्या किसी भी प्रस्तावित योजना में अधिप्रतिष्ठ नहीं है। प्रश्नगत गाटा संख्या वर्तमान में 1419 फसली खसरा में कृषि दर्ज नहीं है तथा वर्ष 1419 फसली में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत गाटा संख्या का खतीदार अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। प्रश्नगत गाटा को लेकर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत गाटा संख्या के स्थल पर आबादी का प्रयोग हो रहा है। कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आसपास विकसित कार्यालय स्थापित है। प्रश्नगत गाटा के पूर्ण रकबे पर आबादी का प्रयोग हो रहा है। प्रश्नगत गाटा के मध्य कोई आसकीय भूमि नहीं है। गा. सीजा-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर, तहसील-सदर, जिला-आजमगढ़ की खाता सं० 00054 के गाटा सं० 262/101280, प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह शिक्षा सेवा समिति, ग्राम-रसूलपुर, तहसील-मुहम्मदाबाद, जिला-मऊ, प्रबंधक, माता विराजी महाविद्यालय, सलेमपुर मुल्तानीपुर ने ग्राम-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर, परगना-चिरियाकोट, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ की भूमि, को उ०प्र० ज०वि० एवं भू०न्या० अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकुविक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

N-1072/2012
 जमा

तहसील की उक्त आख्या को परिदृश्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135 (1) की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल एवं तहसीलदार, सदर द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। नकल खतीनी सं० 1420 फसली से प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह शिक्षा सेवा समिति, ग्राम-रसूलपुर, तहसील-मुहम्मदाबाद, जिला-मऊ, प्रबंधक, माता विराजी महाविद्यालय, सलेमपुर मुल्तानीपुर ने ग्राम-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर, परगना-चिरियाकोट, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ को नए सार्वजनिक भूमिधर के रूप में अंकित है व नकल खसरा सं० 1419 फसली तथा प्राची का शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र संलग्न कर भेजा है। चूंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि कार्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी इत्यादि के उपयोग में नहीं आ रही है व तहसील आख्या के साथ सत्यापित, जमा एवं स्थलीय फोटोग्राफ से संतुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की खाता सं० 00054 के गाटा सं० 262/101280, नकलीत मूला 19.95 धारा 143 उ०प्र० ज०वि० एवं भू०न्या० अधि० के संपरिष्ठ नियम 135 (3) के अन्तर्गत अकुविक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ सत्यापक उक्त आदेश का जंग रहने। तदनुसार प्रस्थापन जारी होना। प्रश्नगत वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे।

49

Rok
 2-11-13

390
 21-11-13

(अनिल कुमार)
 उप जिलाधिकारी
 सदर, आजमगढ़।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़।

घाटा सं० 35 /2012
 माता धिराजी महाविद्यालय, सलेमपुर सुल्तानीपुर
 प्रबन्धक, श्री कैलास यादव
 बनाम
 उ०प्र० सरकार

जन्तर्गत घाटा 143 उ०प्र०
 ज०वि० एवं भू०व्य० अ०वि०
 मौजा-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर
 परगना-चिरैयाकोट, तहसील-
 सदर, जनपद-आजमगढ़।

प्रख्यापन

तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 15.01.2013 से सन्वुष्ट होकर मौजा-सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर की निम्नांकित भूमि को उ०प्र० ज०वि० एवं भू०व्य० अ०वि० 1950 की धारा 143(1) सहपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। वर्तमान में निम्नांकित भूमि कृषि, उद्यानीकरण, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य संवर्धन एवं कृषकुट पालन भी है, के उपयोग में नहीं आ रही है।

नाम ग्राम/तहसील /जनपद	नाम भूमिधर मय बल्लियत व सकूनत	घाटा सं०/क्षेत्रफल	मू०राजस्व
मौजा- सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़	प्रार्थी श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह शिखा सेवा समिति, ग्राम-रसूलपुर, तहसील- मुहम्मदाबाद, जिला-प०, प्रबन्धक, माता धिराजी महाविद्यालय, सलेमपुर सुल्तानीपुर ने ग्राम- सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर, परगना- चिरैयाकोट, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़	घाटा सं० 00054 के घाटा सं० 262/ 1.012हे०	19.05 रु०

(Handwritten signature)
 18/1/13

(Handwritten signature)
 17-1-13
 (अनिल कुमार)
 उप जिलाधिकारी
 सदर, आजमगढ़।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप प्रबन्धक, सदर, जनपद-आजमगढ़ को दो प्रतियों में इस आशय से कि एक प्रति पृष्ठांकन उपरान्त इस न्यायालय को वापस भेजी जाय।
2. तहसीलदार, सदर, आजमगढ़ को दो प्रतियों में अमलदरामद हेतु।

(Handwritten signature)
 17-1-13
 उप जिलाधिकारी
 सदर, आजमगढ़।